HIGH COURT OF JUDICATUTE AT JABALPUR (M.P.)

SINGLE BENCH : HON'BLE JUSTICE NANDITA DUBEY

WRIT PETITION NO. 9186/2006

Ram Karan Dwivedi

Vs.

State of M.P. and others

Shri Shobhit Aditya, learned counsel for the petitioner.

Shri Sheetal Tiwari, learned Panel Lawyer for the respondent/State.

Whether approved for reporting : **Yes**

Law Laid Down :

Constitutional Court while exercising its jurisdiction of judicial review under Article 226 of the Constitution would not normally interfere where the enquiry was held by competent authority and where the rules of natural justice were followed or where the finding arrived at by the authority are based on evidence. The Court although cannot sit in appeal over the findings recorded by the Disciplinary Authority or the Enquiry Officer in a departmental enquiry, it does not mean that under no circumstances can the Court interfere. The power of judicial review available to a High Court takes into stride the domestic enquiry as well and the Court can interfere with the conclusions reached therein if there is no evidence to support the findings or the finding recorded were perverse or malafide. Relied ***Deputy General Manager (Appellate Authority) and others Vs. Ajay Kumar Shrivastava 2021 SCC Online SC 4, Moni Shankar Vs. Union of India and others (2008) 3 SCC 484, State of Rajasthan and others Vs. Heem Singh 2020 SCC Online SC 886.***

Mere submission of findings to the Disciplinary Authority does not bring about the closure of the enquiry proceedings. The enquiry proceedings would come to an end only when the findings have been considered by the Disciplinary Authority and the charges are either held to be not proved or found to be proved and in that event punishment is inflicted upon the delinquent. That being so, the "right to be heard" would be available to the delinquent up to the final stage. Relied ***AIR 1999 SC 3734 Yoginath D. Bagde Vs. State of Maharasthra and another****,*

The tentative reasons for disagreeing with the finding of enquiring authority are required to be communicated to the delinquent officer, so that he may indicate the reasons on the basis of which the disciplinary authority proposes to disagree with the findings recorded by the Enquiring Authority are not germane and the finding of 'not guilty' even for a part of charge recorded by Enquiring Authority

is not required/liable to the interfered with. Further, the show cause notice must indicate clearly the grounds on which the punishment specified therein is being proposed. It is well settled that the formation of the opinion at this stage should be tentative and not final. The final decision of imposing penalty should be taken only after petitioner is given an opportunity of being heard in respect of these charges.

Significant paragraph numbers :15, 16, 17, 18, 23, 33 & 34

Arguments heard on : 17.12.2020
Order delivered on : 11.02.2021

O R D E R

By this petition under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner has challenged his order of dismissal from service dated 12.12.2005 (Annexure P-15) and also the order dated 29.05.2006 (Annexure P-18), whereby the appeal preferred by him against the order of dismissal has been rejected.

2. Facts of the case as pleaded and relevant for the purpose are that the petitioner was posted as Patwari Halka No.36, Hanumana, district Rewa from July 1995 to January 1999. The Tehsildar, Hanumana vide order dated 27.11.1996 (Annexure P-1) issued direction to call for a detailed enquiry report from the Halka Patwari in case Nos.27/A-6-A/96-97 filed by Rameshwar Prasad and Raj

Karan Pandey and case No. 28/A-6-A/96-97, filed by Uma Kant Tripathi with regard to the application filed under Section 115 and 116 of the M.P.L.R.C. for correction in column 3 of the khasra entries of the khasras mentioned in the applications. It is alleged that the petitioner after spot inspection and panchnama, submitted his report confirming the possession of applicants on the lands in question. The Tehsildar, Hanumana, after recording oral and documentary evidence and on the basis of the Patwari report, directed the petitioner for correction of the revenue records vide separate orders dated 02.08.1997, collectively annexed to the petition as (Annexure P-3).

3. A charge sheet dated 07.10.2003 was served to the petitioner under Rule 14 of the M.P. Civil Services (CCA) Rules, 1966 alleging that he acted against the rules and while being posted as Halka Patwari, Hanumana, furnished incorrect enquiry report with regard to the government land of village Sagra Khurd bearing khasra nos. 187/1, 104, 107, 108, 224, 227 in respect of revenue case Nos. 27/A-6-A/96-97, 28/A-6-A/96-97, 29/A-6-A/96-97 and Khasra Nos. 442, 443, 455, 499, 500 and 539 of village Sigati in revenue case No. 30/A-6-A/96-97 and defrauded the State Government. It was alleged that on its basis, the Tehsildar, Hanumana vide various orders directed to correct the

khasra entries resulting in settlement of government land in favour of private individuals.

4. The extract of the charge against the petitioner is reproduced as under :-

आरोप पत्र

श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी हल्का हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा।

आरोप क्रमांक –1

यह कि तहसील हनुमना के पटवारी हल्का हनुमना में पदस्थगी के दौरान ग्राम सगरा खुर्द की शासकीय आराजी क्र0 187/1, 104, 107, 108, 224, 227 तथा ग्राम सिगटी की आराजी क्र0 442, 443, 455, 499, 500 एवं 539 जो शासन मध्यप्रदेश की भूमियाँ थी आपके द्वारा नियम विरूद्ध गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय तथा शासन को धोखा दिया। जिसमें आपके प्रतिवदेन के अनुसार उपरोक्त आराजी को न्यायालय तहसीलदार वृत्त हनुमना ने अपने विभिन्न आदेशों द्वारा आपात्र व्यक्तियों के नाम व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अपने नियम विरूद्ध कार्य कर अपने आपकों दोषी बना लिया है। आपका यह कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य है।

कलेक्टर
जिला रीवा (म0प्र0)
(emphasis supplied)

5. The petitioner/delinquent submitted his reply dated 31.10.2003 to aforesaid charge sheet, denying the charges. Not satisfied with the reply of the petitioner, a departmental enquiry was initiated. The enquiring authority after conducting the enquiry, found the charge partially proved and furnished his report dated 15.09.2005, same is reproduced as under :-

कार्यालय कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :–विभागीय जांच श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

(जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.9.05)

कार्यालय कलेक्टर, जिला रीवा के आदेश क्रमांक 223/विभा.जांच/03 दिनांक 14.11.2003 द्वारा श्री रामकरण द्विवेदी, तत्कालीन पटवारी तहसील हनुमना, जिला रीवा के विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लिया जाकर प्रभारी अधिकारी, विभागीय जांच शाखा कलेक्ट्रेट, रीवा को जांचकर्ता अधिकारी तथा तहसीलदार हनुमना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

आदेश पालन में प्रकरण का अवलोकन किया गया। श्री रामकरण द्विवेदी, पटवारी जिसे आगे आरोपी कर्मचारी शब्द से सम्बोधित किया जाएगा के विरूद्ध निम्न आरोप अधिरोपित है :–

आरोप क्रमांक 1 – यह कि आरोपी पटवारी हल्का हनुमना में पदस्थ रहते हुए ग्राम सगरा खुर्द की शासकीय आराजी क्रमांक 187/1, 104, 107, 108, 224, 227 तथा ग्राम सिगटी की आराजी क्रमांक 442, 443, 455, 499, 500, 539 में नियम विरूद्ध गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर न्यायालय तहसीलदार वृत्त हनुमना ने अपने विभिन्न आदेशों द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम व्यवस्थापन आदेश पारित किया। इस प्रकार आरोपी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में आरोपी कर्मचारी को आहुत कर म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (9) के तहत अभिवचन लिपिबद्ध किया गया। आरोपी ने अपने अभिवचन में अधिरोपित आरोप को अस्वीकार किया। अतः आरोप की सत्यता की जांच हेतु अभियोजन साक्षियों को आहुत किया गया।

अभियोजन साक्षियों सर्वश्री ओ.एन.पाण्डेय, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना एवं श्री प्रेमशंकर मिश्रा, तत्कालीन प्रवाचक तहसील हनुमना उपस्थित हुए। श्री जी.पी. श्रीवास्तव, तत्कालीन तहसीलदार, हनुमना (वर्तमान सेवा निवृत्त) को सूचना पत्र भेजा गया किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन साक्षी श्री काशी प्रसाद दुबे, उपस्थित हुए किन्तु साक्ष्य देने से मना किया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, तहसीलदार हनुमना एवं आरोपी कर्मचारी ने अपने–अपने ब्रीफ प्रस्तुत किये।

अभियोजन साक्षी पी–1 श्री ओ.एन. पाण्डेय, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज–हनुमना ने अपने कथन में कहा कि शिकायत मिलने पर कार्यालयीन अभिलेखों अनुसार प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा गया था। आरोपी पटवारी के विरूद्ध अलग से कोई प्रतिवेदन नहीं दिया था। नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षर कर जिला कार्यालय को भेजा गया था जो सामूहिक प्रतिवेदन था। प्रतिवेदन में जो प्रतिवेदित किया गया था उसका अभिलेख मैंने नहीं देखे थे, केवल तहसीलदार के प्रतिवेदन को पढ़कर ही अग्रेषित कर दिया था। अलग से मुझे कोई जानकारी नहीं है।

अभियोजन साक्षी पी–2 श्री जी.पी. श्रीवास्तव (सेवा निवृत्त) को उनके हाल मुकाम पर सूचना पत्र भेजा गया था, जो तामील पश्चात वापस प्राप्त नहीं हुआ, और न वे उपस्थित हुए।

अभियोजन साक्षी पी–3 श्री काशी प्रसाद दुबे, तत्कालीन प्रवाचक तहसील हनुमना को सूचना पत्र भेजा गया किन्तु उपस्थित होने के बाबजूद साक्ष्य देने से मना किया।

अभियोजन साक्षी पी–4 श्री प्रेमशंकर मिश्र तत्कालीन प्रवाचक उपस्थित हुए उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि 1995 से मई 1997 तक न्यायालय तहसीलदार

हनुमना में रीडर के पद पर पदस्थ रहा। उक्त अवधि में कौन–कौन से प्रकरण न्यायालय में थे, याद नहीं है। प्रकरण को देखकर ही बताया जा सकता है कि किस पटवारी प्रतिवेदन दिया था। आरोप पत्र में उल्लेखित प्रकरण उसके कार्य काल के बाद पारित किये गये है। 12 मई 1997 को एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरा प्रभार श्री काशी प्रसाद दुबे सहायक ग्रेड–3 को दिया था।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, तहसीलदार हनुमना ने मात्र अनुमानों के आधार पर ब्रीफ प्रस्तुत किया, बार–बार लिखने के बाबजूद भी न तो उनके द्वारा स्वयं अभिलेखों का अवलोकन किया गया और न ही अवलोकन हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने लिखा है कि यदि पटवारी ने तहसीलदार के आदेश से उक्त प्रतिवेदन दिया था तो उसे तहसीलदार के उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत कर साबित करना चाहिए। यदि तहसीलदार के उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करा दे तो निश्चित रूप से यह मान लिया जाना चाहिए कि पटवारी ने उक्त दोनों प्रकरणों में प्रतिवेदन देकर अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन किया है, इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। यदि पटवारी द्वारा आदेशों की प्रति नहीं दी गयी तो इसका आशय यह हुआ कि पटवारी ने उक्त दोनों प्रकरणों में बिना चाहे स्वेछापूर्वक प्रतिवेदन दिया है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है। पीठासीन अधिकारी के बिना मांगे प्रतिवेदन देने का प्रश्न ही नहीं होता। किसी भी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मांगने पर ही पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है। यह बात अलग है कि यदि पटवारी की दुर्भावना हो तो तथ्यों को छिपा कर गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने यह भी कहा है कि जैसा आरोपी ने कहा है कि उसके द्वारा बंटन अथवा व्यवस्थापन के प्रकरण में प्रतिवेदन नहीं दिया गया है, तो सही है। उक्त प्रकरण बंटन व्यवस्थापन के नहीं है बल्कि रिकार्ड सुधार के हैं।

ग्राम सिगटी एवं टीटहरा ग्राम के प्रकरणों में प्रतिवेदन देने व इत्तिलयागी दर्ज करने का संबंध है, तो इस संबंध में पटवारी तत्समय टीटहरा, सिगटी हल्के में पदस्थ नहीं था। इसलिए इनके द्वारा प्रतिवेदन देने का प्रश्न हीं नहीं है। आरोपी कर्मचारी ने भी अपने कथन में कहा है कि वह उक्त हल्कों में कभी पदस्थ ही नहीं रहा।

आरोपी कर्मचारी ने अपने कथन में कहा है कि ग्राम सगरा खुर्द की आराजी में खसरा सुधार का आदेश न्यायालय तहसीलदार हनुमना ने अपने प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 2.8.97 में आदेश की इत्तला दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके तहत खसरे में इत्तला दर्ज की गई थी। इसी तरह राजस्व प्रकरण क्रमांक 28/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 2.8.97 में भी इत्तला दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह कि उपरोक्त दोनों आदेश प्रवाचक श्री काशी प्रसाद दुबे द्वारा उस खसरा में आदेश की प्रविष्टि हेतु दिलाये गये, उक्त आदेश में खसरे द्वारा सूचित शब्द के लेख कर प्रकण वापस श्री काशी प्रसाद को कर दिया गया था। एवं खसरे में उक्त आदेशों की इस्तला दर्ज किया जाकर प्रविष्टि प्रमाणित हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा कहा गया कि प्रविष्टियां बाद में एक साथ सत्यापित कर दूगा अभी खसरा ले जाओं। स्पष्ट है, कि खसरा में प्रविष्ट प्रमाणित नही है। आरोपी ने कहा कि प्रकरण बंटन या व्यवस्थापन के नही हे बल्कि खसरा सुधार के प्रकरण थे, तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन चाहे जाने पर वस्तुस्थिति के अनुरूप प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। स्पष्ट हे कि आरोपी कर्मचारी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिवेदन दिया गया था। राजस्व प्रकरण क्रमांक 29/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 2.8.97 द्वारा आराजी क्र. 224 रकवा 1.80 ए0 एवं आराजी क्रमांक 227 रकवा 13.70 के सम्बन्ध में आरोपी ने अनभिज्ञता जताई है। उसने कहा है कि न तो उक्त प्रकरण में उसके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया और न ही आदेश की उत्तला दर्ज की है।

राजस्व प्रकरण क्र. 30/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 29.9.98 ग्राम सिगटी सर्किल पहाड़ी से संबंधित है। उक्त में आरोपी कभी पदस्थ ही नही रहा। आरोपी ने आगे लिखा है कि उसके द्वारा पीठासीन अधिकारी के आदेश निर्देश का ही पालन किया गया, जो प्रार्थी के पदीय दायित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि तत्समय प्रार्थी पीठासीन अधिकारी के निर्देश/आदेश का पालन न करता तो अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर अब तक दण्डित भी हो चुका होता।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है, तहसीलदार हनुमना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 27 एवं 28/अ–6–अ/96–97 ग्राम सगरा खुर्द ही आराजी का खसरा सुधार का आदेश पारित किया जाना बताया गया, किन्तु प्रकरण उपलब्ध नहीं है। जिसमें आरोपी पटवारी द्वारा मौके के आधार पर प्रतिवेदन देना स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण आरोपी द्वारा तत्कालीन प्रवाचक श्री काशी प्रसाद दुबे से प्राप्त किया जाना एवं नोट पश्चात उसे वापस किया जाना बताया गया है। श्री दुबे साक्ष्य देने से मना किया। प्रकरण क्रमांक 29/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 2.8.97 ग्राम संगरा खुर्द के सम्बन्ध में आरोपी द्वारा जानकारी होने से मना किया गया और उसने यह भी कहा कि न तो उक्त प्रकरण में उसके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया हो और न ही उसके द्वारा इस्तलाबी दर्ज की गई है। किसी साक्ष्य से भी यह सिद्ध नहीं हुआ कि उसके द्वारा प्रतिवेदन या इत्तला दर्ज की गई। प्रकरण क्रमांक 30/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 29.9.98 के द्वारा ग्राम सिगटी की आराजी कुल रकवा 9.22 एकड का खसरा सुधार के संबंध में आरोपी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने कहा कि उक्त हल्क में आरोपी कभी पदस्थ नहीं था। अत : उसके द्वारा प्रतिवेदन या इत्तला दर्ज नहीं की गई है। स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार हनुमना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 2.8.97 द्वारा ग्राम सगरा खुर्द की कुल भूमि 14.64 एकड प्रकरण क्रमांक 28/अ–6–अ/96–97 आदेश दिनांक 2.8.97 द्वारा ग्राम सगरा खुर्द की आराजी 1.80 एकड क्रमांक 29/अ–6–अ/96–97 आदेश दिनांक 2.9.97 ग्राम सगरा की आराजी 13.70 एकड एवं प्रकरण 30/अ–6–अ/96–97 आदेश दिनांक 29.9.98 द्वारा ग्राम सिगटी की कुल आराजी 9.22 एकड का खसरा सुधार कर म.प्र. शासन के बजाए अनावेदको के नाम खसरा सुधार किया गया है। किन्तु प्रकरण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सही स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सकता। तथापि आरोपी ने दो प्रकरणों में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन चाहने पर दिया जाना स्वीकार किया है एवं प्रतिवेदन वस्तुस्थिति के अनुसार ही दिये जाने का लेख किया है। अतः अधिरोपित आरोप आंशिक प्रमाणित है।

चूंकि उपरोक्त चारों प्रकरणों द्वारा तहसील हनुमना अन्तर्गत शासकीय भूमियों का खसरा सुधार कर अनावेदकों के नाम भूमि किया गया है जो प्रकरण न्यायालय में उपलब्ध नहीं है, इससे इस बात का बल मिलता है कि उपरोक्त प्रकरणों में अनियमितता जरूर हुई होगी। अतः उक्त प्रकरणों को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है, तदनुसार तहसीलदार हनुमना को कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा जाना उचित होगा।

विभागीय जांच अधिकारी
कलेक्ट्रेट, जिला रीवा (म0प्र0)

(emphasis supplied)

6. The enquiry report dated 15.09.2005, furnished by the Enquiry Officer was placed before the disciplinary authority. Note sheet dated 16.09.2005, obtained by the

petitioner under RTI reveals that Collector after perusal of enquiry report reached to the conclusion that petitioner has committed grave irregularities as he has corrected the entries without the order of competent authority and dismissed the petitioner from service. He further directed to put up "speaking order" accordingly. Extract of note sheet dated 16.09.2005 is reproduced herein under :-

"विषय :– विभागीय जांच श्री रामकरण द्विवेदी तत्लकालीन पटवारी तहसील हनुमना जिला रीवा

16 Sept. 2005

1. बगैर, तहसीलदार न्यायालय के किसी आदेश के यदि पटवारी ने शासकीय भूमि, प्रायवेट व्यक्तियों के नाम कर दी है, तो इससे गंभीर अपराध और क्या हो सकता है?

जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। गंभीर अनियमितताएँ की गई है। सेवा से पृथक किया जाता है। तदनुसार Speaking Order रखें।

2. संबंधित गलत प्रविष्टियों को निरस्त करने हेतु, suo-moto revision में प्रकरण लेने हेतु, अग्रिम कार्रवाई की जाए।"

सही /–
16 / 09 / 05
(emphasis supplied)

7. Thereafter by notice dated 03.10.2005, petitioner was called upon to submit his written explanation/comments to the enquiry report, which was submitted by him on 19.10.2005, along with copy of order dated 02.08.1997, passed by Tehsildar, Hanumana in Revenue case Nos. 27/A-6-A/96-97 and 28/A-6-A/96-97, raising objection to the effect that the Revenue case Nos. 27/A-6-A/96-97 and 28/A-6-A/96-97 pertains to correction in khasra entry and not of settlement and the report was submitted by him in compliance of order of Tehsildar dated

02.08.1997. He further explained that no report or correction was made with respect to revenue case No.29/A-6-A/96-97 and with regard to case No. 30/A-6-A/96-97 it was stated that he was never posted at village Sigati. The extract of explanation furnished by the petitioner/delinquent is reproduced as under :-

प्रति,
कलेक्टर महोदय,
जिला रीवा (म0प्र0)

विषय :—जांच अधिकारी की रिपोर्ट के खिलाफ सूचनार्थ का अवसर।

संदर्भ :— आप का पत्र क्र 190/विभा.जांच/05 रीवा दि0 3/10/2005 ।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि गलत इत्तला दर्ज करने के आरोप में निलम्वित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। जिसमें जांचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन पर जबाव चाहा गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुरोध है :—

01. यह कि बिना दोष के प्रार्थी को अनावश्यक लगभग तीन माह तक निलंबित रखा गया।

02. यह कि जिन प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा इत्तला दर्ज की गई है, वह बंटन व्यवस्थापन के प्रकरण नहीं है, बल्कि खसरा सुधार के प्रकरण है।

03. यह कि न्यायालय तहसीलदार हनुमना द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक 27/अ—6अ/96—97 पारित आदेश दिनांक 02.08.97 एवं क्रमांक 28/अ—6—अ/96—97 पारित आदेश दिनांक 02.08.97 को संदर्भ में ही आदेशानुसार इस्तलायावी दर्ज की गई है। जिसकी नकल छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त नकल पक्षकारों द्वारा नकल शाखा कलेक्ट्रेट रीवा से प्राप्त की गई थी, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।

04. यह कि राजस्व अभिलेखों का संधारण एवं भूमि से संबंधित विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश की इत्तला दर्ज करना पटवारी पद का प्रमुख दायित्व है, इसी अनुसार न्यायालय तहसीलदार हनुमना एवं अन्य न्यायालय से पारित आदेशों की इत्तला मेरे द्वारा दर्ज की गई है। जैसा की मैने उक्त प्रकरणों में इत्तला दर्ज कर अपने पदीय दायित्व का निर्वहन ही किया है।

05. प्रार्थी राजस्व विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी है, जिसमें इतना साहस नहीं है, कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता का परीक्षण करें।

06. जैसा कि मैने पूर्व प्रस्तुत बचाव में स्वीकार किया है कि प्रकरण क्र. 27 एवं 28/अ—6—1/96—97 की इत्तला दर्ज किया है, जो तहसीलदार हनुमना द्वारा पारित आदेश है। यदि कभी न्यायालय से प्रकरण न मिले या प्रकरण कही गुम हो जाये तो इसकी जवाबदारी पटवारी की कैसे हो सकती हैं।

07. यह कि आरोप पत्र में वर्णित प्रकरण क्र. 29/अ–6–31/96–97 पारित आदेश दिनांक 02.08.97 की इत्तला खसरे में दर्ज नहीं हैं।

08. यह कि प्रकरण क्रमांक 30/अ–6–अ/96–97 प्रकरण क्र. 75/अ–74/99–2000 ग्राम सिगटी सर्किल पहाड़ी के राजस्व प्रकरण है, उक्त ग्राम/हल्का में मै कभी पदस्थ ही नही था। अतः किसी भी प्रकार की इत्तला दर्ज करने का प्रश्न ही नही है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए नियमानुसार इत्तला दर्ज की है। किसी तरह का फर्जी कार्य नही किया गया है,।

अतः न्याय हित में संस्थित विभागीय जांच समाप्त करने की दया करें।

दिनांकः 19/10/05

प्रार्थी
रामकरण द्विवेदी
पटवारी
(emphasis supplied)

8. The order dated 02.08.1997, passed in Revenue Case Nos. 27/A-6-A/96-97 and 28/A-6-A/96-97 by Tehsildar, Hanumana and produced by petitioner/delinquent alongwith his reply dated 19.10.2005 is reproduced as under :-

न्यायालय तहसीलदार हनुमना जिला रीवा मध्यप्रदेश

राजस्व प्रकरण क्र. 27/ए/6/ए/96–97

(1) श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी पिता द्वारिका प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम टीटहरा तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)
(2) राजकरण पाण्डेय पिता पद्यमाक्ष प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम सिगटी तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

.....आवेदगगण

<u>विरूद्ध</u>

(1) मध्यप्रदेश शासन।
(2) भैयालाल तनय भगवती दर्जी सा0 देह।
(3) भगवती तनय मैना लोहार सा0 देह।
(4) राममिलन, सूर्यभान, जयभान पिता सुबुद्धी काछी सा0 देह।

.....अनावेदकगण

आदेश दिनांक 2.8.97

(1) उक्त प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदकगण ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 115/116 एवं सहपठित धारा 32 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959 के तहत् प्रस्तुत 1959 के तहत् प्रस्तुत करके भूमि खसरा नं. 107 रकवा 3.72ए., 108 रकवा 5.92ए. तथा 104/1 रकवा 5.00 ए. कुल किता 3 रकवई 14.64ए. लगानी 18.50 रूपये स्थित ग्राम सगरा खुर्द पटवारी हल्का, हनुमना का मालिक भूमि स्वामी अपने पूर्वज एवं अपने–अपने हक में घोषित किये जाने बाबत् आग्रह किया गया।

(2) प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया।

(3) प्रकरण प्रस्तुत होने पर उपरोक्त वर्णित भूमियों से सम्बन्ध में विस्तार से पटवारी प्रतिवेदन मंगाया गया तथा इस्तहार का विधिवत् प्रकाशन करा कर सम्बन्धितों को उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी कराये गये सम्बन्धितों एवं किसी अन्य के तरफ से कोई लैखिक एवं मौखिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई न ही उपस्थित दर्ज कराई गई।

पटवारी हल्का हनुमना ने अपना सविविरण जांच प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसके मुताबिक उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेगकगण के पूर्वजों एवं वाद आवेदकगण का कब्जा दखल मौके पर बताया गया है। पटवारी रिपोर्ट इस आदेश का एक अंग ही है। पटवारी हल्का ने अपने रिपोर्ट में पूर्व के समस्त दस्तावेजों का जो सिल पर दिखलाया गये उसका उल्लेख किया है तथा प्रमाण में प्रमाणित प्रतियां संलग्न की है।

पटवारी रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा आवेदकगण अधिवक्ता का तर्क श्रवण किया जाकर पूरे प्रकरण का अवलोकन किया।

(4) आवेदकगण द्वारा बन्दोवस्त खतौनी 1924–25 की नकल प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेश के इत्तला दर्ज है। जिसके निरीक्षण एवं आवेदकगण तर्क एवं प्रस्तुत अभिलेख यह उजागर होता है कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण के पूर्वजों द्वारा मू. अनुपिया जोजे दीन– दयाल कोम ब्रा0 साकिन देह से क्रय की गई थी। जिसके परिपालन में बन्दोबस्त खतौनी में 18.4.37 तारीख में आवेदकगण के पक्ष में इत्तला दर्ज की गई थी जिसके तहत् उक्त भूमियों में क्रमशः रामनिरंजन राम पिता शिवनाथ राम ब्रा0सा0 टटिहरा तहसील हनुमना एवं अवधारण पिता जगमोहन राम ब्रा0सा सिगटी तहसील हनुमना बराबर–बराबर के हिस्सेदार एवं कब्जेदार हैं। ये क्रमशः आवेदकगण क्रमांक–1 एवं 2 के भूरिस हैं।

(5) आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में वार्षिक खतौनी 1958–59 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें मालिक एवं खेतिहर के स्प में रामनिरंजन राम एवं पद्यमाक्ष प्रसाद दर्ज है जो क्रमशः आवेदक क्रमांक–1 के बाबा एवं दो के पिता हैं। यह खतौनी राज्य सरकार द्वारा तैयार कराई गई थी। जिसे म.प्र. एवं विन्ध्य प्रदेश दोनों के परिधि में अन्तरिम अधिकार अभिलेख माना गया है।

(6) आवदेकों के क्रमशः बाबा एवं पिता ने सन् 1970 के जरिये व्यवस्था पत्र अपने–अपने हक की भूमि 1/2–1/2 अपने नाती एवं एवं पुत्र के नाम करा दी जिस जिसका नामान्तरण पंजी के पंजी क्रमांक–3 निणर्य दिनांक 28.5.70 द्वारा रामेश्वर प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद के नाम तथा पंजी क्रमांक–4 निर्णय दिनांक 28.5.70 के द्वारा राजकरण पिता पद्यमाक्ष प्रसाद पाण्डेय के नाम प्रमाणित करा दिया गया था प्रस्तुत प्रति से सांवित होता है कि प्रमाणीकरण करने वाले अधिकारी नायब तहसील मऊगंज (रीवा) हैं।

इस तरह सन 1974–75 के खसरा रोस्टर में आवेदकगण का नाम कॉलम नं. –3 में दर्ज किया गया जो लगातार सन 1987–88 तक चला आया पटवारी हल्का ने जब वर्ष 1988–89 का खसरा रोस्टर किया तो प्रश्नाधीन भूमियों में खसरा के कॉलम नं.–3 से आवेदकगण का नाम विलुप्त कर शासन मध्यप्रदेश दर्ज कर दिया।

किन्तु शासन मध्यप्रदेश प्रश्नाधीन भूमियों में मध्यप्रदेश भूमियों में खसरा के कालम–3 में किस आधार लिखा गया प्रस्तुत दस्तावेज अद्योपान्त एवं प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन में कहीं उल्लेख नहीं है। अर्थात बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमानी तौर से आवेदकगणों के स्वत्व की भूमियों में शासन मध्यप्रदेश पटवारी द्वारा मनमानी तौर पर दर्ज कर दिया गया।

तदोपरान्त शासकीय एवं अशासकीय लोगों द्वारा मनमानी तौर से प्रश्नाधीन भूमियों को शासकीय समझ कर उसका उपयोग अपने–अपने हिसाब से करने का प्रयास करने लगें। इसी तर्ज पर भूमियों के अंश रकवों पर लोग अनाधिकार काबिज के रूप में अपना नाम लिखाना प्रारंभ किये इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं है।

इस प्रकार आवेदकगण की दलील एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लगभग 50 वर्ष का दस्तावेज अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

(7) आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया एवं कराया गया है जिसके क्रास एग्जामिन द्वारा प्रकरण का मनन किया गया है।

अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आदेश के ही मनमानी ढंग से अवैध प्रविष्टि कर दी गई है।

उपरोक्त दस्तावेज जिनमें आवेदकगण के बजाय शासन मध्यप्रदेश एवं अन्य अनाधिकृत रूप से दर्ज है आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा आधारहीन बताते हुये उसे स्थिर न रखने तथा खसरे के कालम नं.–3 में एवं अन्य संशोधित प्रविष्टि एवं कब्जेदार के रूप में आवेदगण का नाम लिखे जाने का अनुरोध किया गया है।

कारण प्रश्नाधीन भूमि कभी न आवेदकगण एवं उनके मूरिसों से अधिग्रहीत की गई न ही शासन में निहित करने बाबत् कभी कोई सूचना दी गई न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। इस कारण आवेदकगण के प्रतिकूल की गई प्रविष्टि शून्य एवं अधिकार बिहीन है जो आवेदकगण को बंधनकारी नहीं है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र प्राप्त नकल के अनुसार अपील अवधि अन्दर है। आवेदकगण या किसी अन्य के लिये वास्तविक धरातल पर सम्भव नहीं है कि हर वर्ष की नकल लें। इस लिये जानकारी एवं प्राप्त नकल दिनांक अपील अवधि अन्दर सीमा में है।

अतः आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 115/116 सहपठित धारा 32 के तहत् आधारबिहीन प्रविष्टि को निरस्त कर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में 1987–88 के पूर्व की भांति यथावत् लिखे जाने का आदेश पारित किया जाये।

विद्यवान अधिवक्ता का तर्क श्रवण किया एवं मनन किया प्रकरण में संलग्न अभिलेखों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से उन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है।

इसलिये प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत कर एवं साक्ष्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन खसरा नम्बरानी में की गई अवैध आधारहीन प्रविष्टि स्थित रखने योग्य नहीं है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115/115 एवं सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है तदानुसार भूमि खसरा नं. 104/1 रकवा 5.00ए., 107 रकवा 3.72 ए. एवं 108 रकवा 5.92 ए. कुल किता 3 रकवा 14. 64 ए. स्थित ग्राम सगरा खुर्द जन. 940 तहसील हनुमना जिला रीवा में जो शासन मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रविष्टियां खसरे के कालम नं.–3 एवं संशोधित प्रविष्टियों में दर्ज है उसे आधारहीन एवं सक्षम अधिकारी के आदेश बिना दर्ज मानकर निरन्त की जाती है। तथा उनके स्थान पर आवेदकगण का नाम व हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पटवारी आदेशानुसार राजस्व अभिलेखें में सुधार करें, प्रकरण नस्तीबद्ध होकर संचित अभिलेखागार हो। प्रवाचक प्रकरण पंजी में टीप अंकित करें।

आदेश मेरे द्वारा स्वयं बोलकर टाइप
कराया गया एवं हस्ताक्षर किये गये।

हस्ताक्षर अवाच्य
सील
तहसीलदार हनुमना
जिला रीवा

तहसीलदार
तहसील हनुमना
जिला रीवा

न्यायालय तहसीलदार हनुमना जिला रीवा मध्यप्रदेश

राजस्व प्रकरण क्र. 28/ए/6/ए/96–97

(1) श्री उमाकान्त त्रिपाठी पिता गैवीनाथ त्रिपाठी ग्राम मझियारी तहसील त्योधर जिला रीवा (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

(2) मध्यप्रदेश शासन।

.....अनावेदकगण

आदेश दिनांक 2.8.97

(1) उक्त प्रकरण का सूक्ष्म सार यह है कि आवेदक ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 115/116 एवं सहपठित धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1989 के अधीन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नं. 187/1 रकवा 1.00 ए. लगानी 00.15 रूपये स्थित ग्राम सगरा खुर्द पटवारी हल्का हनुमना का मालिक भू–स्वामी हक अपने में घोषित किये जाने बाबत् आग्रह किया गया है।

(2) प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया।

(3) प्रकरण प्रस्तुत होने उपरांत उपरोक्त वर्णित भूमि सम्बन्धी विस्तार से संविवरण पटवारी प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा इस्तहार का विधिवत् प्रकाशन करवाया गया किसी के तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

पटवारी हल्का हनुमना ने अपना संविवरण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उक्त भूमि आवेदक एवं आवेदक के पूर्वजों का मौके एवं दस्तावेजों में कब्जा दखल था और हैं। पटवारी प्रतिवेदन आदेश का एक अंश है पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन में पूर्व के समस्त दस्तावेजों का जो उसे उपलब्ध कराये गये उसका उल्लेख किया गया है। तथा समर्थन में प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई है।

पटवारी प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं आवेदक के अधिवक्त का तर्क सुनकर प्रकरण का गहन अध्ययन किया गया।

(4) आवेदक द्वारा बन्दोबस्त खतौनर सन् 1924–25 की नकल प्रस्तुत की गई जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेश की इत्तलाबी दर्ज है। प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदक साक्ष्य से साबित होता है कि उक्त भूमि आवेदक पूर्वज द्वारा पूर्व भूमि स्वामी से क्रय की गई थी। जिसके परिपालन में बंदोबस्त खतौनी सन् 1924–25 में सम्बन्धित खसरा नं. के समक्ष तारीख 21.12.38 में इत्तला दर्ज की गई थी।

(5) आवेदक द्वारा अपने आवेदन के पक्ष में वार्षिक खतौनी वर्ष 1958–59 की नकल प्रस्तुत की गई जिसमें मासिक एवं खेतिहर के रूप में स्वयं आवेदक का नाम दर्ज है। उक्त खतौनी को म.प्र. एवं विन्ध्य प्रदेश दोनों के परिधि में अंतरिम अधिकार अभिलेख माना गया है तत्पश्चात लगातार आवेदक का नाम उक्त भूमि में खसरे के कालम नं.–3 एवं अन्य प्रविष्टियों पर वर्ष 1987–88 तक दर्ज होता आया है। जब पटवारी वर्ष 1988–89 का खसरा रोस्टर किया तब अचानक आवेदक के नाम खसरा के कालम नं.–3 से विलुप्त होकर शासन मध्यप्रदेश दर्ज कर दिया गया।

किंतु शासन मध्यप्रदेश प्रश्नाधीन भूमि पर खसरे के कालम नं.–3 में किस सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया इसका पटवारी प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत उपलब्ध उद्योपान्त राजस्व अभिलेखों में कहीं उल्लेख नहीं है। अर्थात् बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना सुनवाई का अवसर दिये वगैर मनमानी तौर से आवेदक का नाम पटवारी द्वारा विलोपित कर शासन मध्यप्रदेश दर्ज किया गया है।

इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दलील एवं लगभग 49 वर्ष के राजस्व अभिलेखों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

(6) आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया एवं कराया गया। जिससे क्रास एक्जामिन कर प्रकरण का उद्योपान्त मनन किया गया।

अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आदेश के मनमानी ढ़ंग से अवैध प्रविष्टि कर दी गई है।

उपरोक्त दस्तावेज जिनमें आवेदक के बजाय शासन मध्यप्रदेश अनाधिकृत रूप से दर्ज है, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आधारहीन बताते हुये खसरे के कालम नं.–3 में एवं अन्य संशोधित प्रविष्टियों में जो आवेदक के बजाय प्रविष्टि की गई हैं जो स्थित न रखने का आग्रह किया गया साथ ही खसरे के कालम नं–3 एवं अन्य संशोधित प्रविष्टियां में आवेदक का नाम भूमि स्वामी एवं कब्जेदार के रूप में दर्ज कराये जाने का अनुरोध किया गया।

कारण उक्त भूमि कभी शासन द्वारा न आवेदक एवं उसके पूर्वजों से अधिग्रहीत की गई और न ही इस बाबत् कभी कोई सूचना ही दी गई है। इस कारण आवेदक के प्रतिकूल की गई प्रविष्टि शून्य एवं अधिकार विहीन है जो आवेदकगण पर बंधनकारी नहीं है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र प्राप्ति की नकल एवं बताई गई जानकारी की तिथि से अपील अवधि अन्दर है।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 115/116 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आधार बिहीन प्रविष्टि को निरस्त कर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में 1987–88 के पूर्व के भांति यथावत् लिये जाने का आदेश पारित किया जावें।

विद्यमान अधिवक्ता का तर्क श्रवण किया गया एवं मनन उपरांत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से उन पर विश्वास न करने का कोई कारण महत्वपूर्ण नहीं है।

इसलिये प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि खसरा नं. 187/1 में की गई अवैध आधारहीन प्रविष्टि स्थिर रखने योग्य नहीं है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959/ की धारा 115/116 एवं सहपठित धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन– पत्र स्वीकार किया जाता है तदानुसार भूमि खसरा नं. 187/1 रकवा 1.00 ए. स्थित ग्राम सगरा खुर्द जन. 940 तहसील हनुमना जिला रीवा में जो शासन म.प्र. एवं अन्य प्रविष्टियां खसरे के कालम नं. –3 एवं संशोधित प्रविष्टि में दर्ज है। उसे आधार बिहीन एवं समक्ष अधिकारी के आदेश बिना दर्ज मानकर निरस्त की जाती है। तथा इसके स्थान पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पटवारी आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में सुधार करें, प्रकरण नस्तीबद्ध होकर संचित अभिलेखागार हो, प्रवाचक प्रकरण पंजी में टीप अंकित करें।

आदेश मेरे द्वारा बोल कर टाइप
कराया गया एवं पढ़ कर हस्ताक्षर,
किया गया।

हस्ताक्षर अवाच्य
सील
तहसील हनुमना

हस्ता. अवाच्य
तहसीलदार
तहसील हनुमना रीवा (म.प्र.)

(emphasis supplied)

9. The Disciplinary Authority (Collector), contrary to the enquiry report, held the charge to be fully proved. He found that the petitioner has recorded the government land in favour of private persons without any order of Tehsildar or Competent Court and by order dated 12.12.2005 (Annexure P-15), dismissed him from service. The order dated 12.12.2005 is reproduced as under :-

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला रीवा (म.प्र.)

:–आदेश–:

रीवा, दिनांक/12/12/2005

क्रमांक/170/18/भू–अभि./स्था./2005 : अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना तहसीलदार/नायब तहसीलदा हनुमना रीवा के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.07.2003 से पाया गया कि श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी तहसील हनुमना द्वारा पटवारी हल्का हनुमना के अंतर्गत ग्रामों की शासकीय भूमियों का फर्जी प्रकरण दर्ज कर दर्ज सुदा प्रकरण गायब कर गलत प्रतिवेदन से अपात्र व्यक्तियों को भूमि का व्यवस्थापन कर फर्जी प्रकरण का नम्बर डालकर इत्तलाबी दर्ज कर शासकीय भूमियो का व्यवस्थापन किया गया। अतः शासकीय भूमियों के फर्जी व्यवस्थापन की कार्यवाही में लिप्त होने के कारण कार्यालीन आदेश क्रमांक 232/प्रवा./कले./2003 रीवा दिनांक 25.8.03 द्वारा श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी हल्का हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। साथ ही प्रभारी अधिकारी विभागीय जांच शाखा कलेक्ट्रेट रीवा की ओर नस्ती मय नोट सीट सहित भेजकर संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री द्विवेदी

पटवारी (निलम्बित) को 15 दिवस के अन्दर आरोप पत्रादि तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये है। जिसके परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक विभा. /जांच/03/194 रीवा दिनाक 7.10.03 द्वारा श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी हल्का हनुमना तहसील हनुमना रीवा को आरोप पत्रादि जारी कर लिखित अभ्यावेदन चाहा गया था। जिसके परिपेक्ष्य में श्री द्विवेदी पटवारी (आरोपी कर्मचारी) द्वारा आरोप पत्रादि का उत्तर दिनाक 31.10.03 को प्रस्तुत किया गया। आरोपी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक न पाये जाने पर आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लिया जाकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14(2) के अंर्तगत कार्यालीन आदेश क्रमांक 223/विभा. जांच/03 रीवा दिनांक 14.11.03 द्वारा आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच संस्थित करते हुए प्रभारी अधिकारी विभागीय जांच शाखा कलेक्ट्रेट रीवा को जांच कर्ता अधिकारी तथा तहसीलदार तहसील हनुमना रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर अधिरोपित आरोपो की जांच कराई गई। इसी दौरान चुनाव कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 116/18/भू–अभि./स्था./03 दिनाक 22.10.03 के द्वारा श्री रामकरण दिवेदी पटवारी को निलम्बन से बहाल किया जाकर निलम्बन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के निराकरण के साथ किया जावेगा आदेशित किया गया।

2. आरोपी कर्मचारी श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी हल्का हनुमना तहसील हनुमना रीवा के विरूद्ध आरोप यह है कि तहसील हनुमना के पटवारी हल्का हनुमना में पदस्थगी के दौरान ग्राम सगरा खुर्द को शासकीय आराजी क्रमांक 187/1, 104, 107, 108, 224, 227 तथा ग्राम सिगटी आराजी क्रमांक 442, 443, 455, 499, 500 एवं 539 जो शासकीय म.प्र. की भूमियाँ थी उनके गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय तथा शासन को गुमराह किया गया। इनके प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त आराजी को न्यायालय तहसीलदार वृत्त हनुमना ने अपने विभिन्न आदेशो द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्य करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विरूद्ध होकर दण्ड का भागी पाया जाना ।

3. जांच कर्ता अधिकारी ने जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनाक 15.9.2005 को प्रस्तुत किया गया। जांच कर्ता अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में आरोपो कर्मचारी के ऊपर अधिरोपित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये है। जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 190/विभा./जांच, 05 रीवा दिनांक 3.10.2005 द्वारा श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी हल्का हनुमना तहसील हनुमना रीवा को जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के विरूद्ध सुनवाई का अवसर देते हुए जांच अधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित करते हुए उल्लेखित किया गया कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर उपयुक्त निर्णय लिया 'जाना है। अतः यदि जाधिकारी प्रातवेदन पर किसी प्रकार का अभ्यावेदन अथवा निवेदन करना चाहे तो उक्त पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अपचारी कर्मचारी को सुनवाई के लिए उक्ति–उक्ति अवसर दिया गया जिसके परिपेक्ष्य में आरोपी कर्मचारी द्वारा दिनांक 19. 10.2005 को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

4. प्रकरण में मेरे द्वारा विभागीय जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन संलग्न साक्ष्यो के अभिकथन एवं अन्य अभिलेख तथा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं अन्य दस्तावेजो साक्ष्यो का सूक्ष्म परीक्षण करने पर पाया गया कि न्यायालय तहसीलदार हनुमना के बिना किसी आदेश के शासकीय भूमियो का आनियमित व मनमाने ढंग से अपात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई है जो पूर्णतः गम्भीर अनियमितताए की जाकर आपराधिक कृत्य किया गया है। जो म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(8) के अर्न्तगत घोर दण्डनीय है।

अत : श्री रामकरण द्विवेदी तत्कालीन पटवारी हल्का हनुमना तहसील हनुमना रीवा वर्तमान (निलम्बित) पटवारी तहसील रहली जिला सागर (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

सही/–
कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

(emphasis supplied)

10. The petitioner/delinquent preferred departmental appeal against his dismissal from service. The appellate authority, taking note of enquiry report (Annexure P-13), Collector's order (Annexure P-15), found the conduct of petitioner as irresponsible, put his seal of approval on the order of disciplinary authority (Collector) and confirmed the penalty of dismissal vide order dated 29.05.2006 (Annexure P-18). The same is reproduced as under :-

कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा
आदेश

रीवा, दिनांक 29–5–2006

कमांकः 72/विभा. जांच/2006 : श्री रामकरण द्विवेदी, सेवा मुक्त पटवारी तहसील हनुमना जिला रीवा ने कलेक्टर रीवा के आदेश क्रमांक–170/18/4–भू–अभि./स्था./2005 दिनांक 12.12.2005 के विरूद्ध अपील इस कार्यालय प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को शासकीय सेवा से पृथक करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर दारा जारी आरोप पत्र के अनुसार अपीलार्थी के ऊपर तहसील हनुमना के पटवारी हल्का हनुमना में पदस्थगी के दौरा गाम सगरा खुर्द की शासकीय आराजी नं. 187/1, 104, 107, 108, 224, 227 तथा ग्राम सिगटी की आराजी क्र. 442, 443, 455, 499, 500 एवं 539 जो शासन म0प्र0 की भूमिया थी, का गलत प्रतिवेदन अपीलार्थी दारा प्रस्तुत किया गया जिससे तहसीलदार हनुमना द्वारा विभिन्न आदेशो के तहत् अपात्र व्यक्तियों के नाम व्यवस्थापन आदेश किया गया। जांच के दौरान उक्त आरोप आंशिक प्रमाणित पाया गया।

2/– अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में लेख किया गया कि आदेश दिनांक 12.12.05 मामले के तथ्यो एवं लगाये गये आरोप के विपरीत होने के कारण कायम रखने योग्य नहीं हैं। लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया गलत है और निरस्त किये जाने योग्य हैं। जिन प्रकरणो में गलत रूप से प्रतिवेदन देने का आक्षेप था वे कोई भी प्रकरण जांच अधिकारी अथवा कलेक्टर न तो तलब किया गया और न ही प्रस्तुत हुआ और आरोप से संबंधित दस्तावेजो की प्रतियां आरोपी के बार–बार मांग किये जाने पर नही प्रदाय की गई हैं। मात्र काल्पनिक आधार पर पद से पृथक

करने का आदेश पारित किया गया है, जो अनुचित, अवैध एवं सार्वभूत, तार्किक, अनियमितताओ पर आधारित है। जांच के दौरान प्रकरण न तो तलब हुए और न कोई गलत प्रतिवेदन देने का तथ्य प्रमाणित हुआ। ऐसी स्थिति में काल्पनिक आधार पर अपीलार्थी को पद से पृथक किये जाने संबंधी कठोर शास्ति अधिरोपित की गई हैं। प्र.क.27–अ–6–अ/96–97 में राजस्व मण्डल द्वारा संबंधित पक्षकारो की निगरानी स्वीकार की गई है। पारित आदेश में जिन प्रकरणो का हवाला देयक व्यवस्थापन/बंटन किया जाना आपेक्षित था वह प्रकरण व्यवस्थापन/बंटन से संबंधित नही है। अभ्यावेदन दिनांक 19.10.05 पर न तो कलेक्टर ने विचार किया और न उसके अमान्य करने का कोई कारण ही दिया। अपीलार्थी ने इत्तलायाबी किया था जो कि वरिष्ठ अधिकारी/न्यायालय के आदेश के परिपालन के लिए अपीलार्थी बाध्य होने और अपने पदीय कर्तव्यों के अधीन आदेश के परिपालन में खसरे में इन्द्राज किया था।

3/– कलेक्टर रीवा से कंडिकावार टीप एवं मूल अभिलेख मंगाए गए। कलेक्टर ने अपनी टीप में लेख किया कि अपीलार्थी द्वारा आरोप पत्र के उत्तर दिनांक 19.10.2005 की कंडिका–4 में तहसीलदार के आदेश की इत्तला दर्ज करना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार न्यायालय तहसीलदार हनुमना के (आरोप पत्र के कथित उत्तर में) प्र.क्र.20/अ–6–अ/96–97 पारित आदेश दिनांक 2.8.97 की इत्तला खसरे में दर्ज न होना बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव दिनांक 31.10.03 पैरा–2 में कथित प्रकरणों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना स्वीकार किया है। जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में साक्ष्यों के अभिकथन लिये गये है जो संलग्न प्रकरण है। जांच अधिकारी द्वारा जांच में आरोप प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण के सूक्ष्म परिक्षणोपरांत तथा जांच प्रतिवेदन में दोष सिद्ध पाये जाने की दशा में ही विशिष्ट आदेश दिनांक 12.12.05 पारित किया गया है। अपीलार्थी का यह कथन कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप के विरूद्ध निर्णय दिया गया है, गलत है क्योंकि आरोप विवरण पत्र में उजागर किया गया था कि कथित प्रकरणो में अपीलार्थी के गलत प्रतिवेदन देने के कारण व्यवस्थापन/खसरा सुधार का आदेश तहसीलदार हनुमना द्वारा पारित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान उपलब्ध आवश्यक अभिलेखों का अवलोकन उपरांत ही जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा कलेक्टर द्वारा भी आवश्यक अभिलेखो की सूक्ष्म जांच, निर्णय के पूर्व की गई है। जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि उसे दस्तावेजो की प्रतियां उनके बार–बार मागे जाने पर भी नही दी गई, तथ्यहीन एवं झूठा हैं। अपीलार्थी को विभागीय जांच से संबंधित उपलब्ध अभिलेख नियमानुसार अवलोकन कराया गया है। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन पश्चात् ही तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी को दोषी माना है। यह कथन कि दुर्भावनापूर्ण आदेश पारित किया गया, सर्वथा गलत एवं तथ्यहीन है। चूंकि पूर्व पदाधिकारी द्वारा इन्हे नियम विरूद्ध कृत्य के लिए निलंबित किया गया था। प्रकरण बंटन/व्यवस्थापना के नही, भले ही खसरा सुधार के थे किन्तु विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान पटवारी प्रतिवेदन में अपीलार्थी को दोषी पाया गया है तथा प्रतिवेदन देने के संबंध में जैसा कि आरोप पत्र के उत्तर में आरोपी द्वारा स्वीकारा गया है, के आधार पर तथा आरोप सिद्ध पाये जाने पर ही सेवा पृथक का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन 19.10.05 का अवलोकन किया गया था जो मान्य योग्य नहीं होने की स्थिति में ही कथित आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्व ारा प्रश्नाधीन प्रविष्टि हेतु कथित रूप से अधिकारी का विशिष्ट आदेश, जांच के दौरान अवलोकन नही कराया गया है, अतः लिखित तर्क मान्य योग्य नहीं कहा जा सकता है।

4/– अपीलार्थी को दिनांक 16.5.2006 को समक्ष में सुना गया। सुनवाई के दौरान इन्होने वही बाते कही है जिसका उल्लेख इनके द्वारा प्रस्तुत अपील में किया गया हैं।

प्रकरण का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आरोप पत्र के प्रस्तुत उत्तर दिनांक 31.10.2003 में यह स्वीकार किया है कि प्र.क्र. 27–अ–6–अ/96–97 से ग्राम सगरा खुर्द की आराजी नं. 104/1 रकबा 5.00 एकड़ 107 रकबा 3.72 एकड़ 108 रकबा 5.92 एकड़ कुल किता 3 कुल रकबा 14.64 एकड एवं प्र.क्र. 28–अ–6–अ/96–97 में ग्राम सगरा खुर्द की ही आ. नं. 187/1 रकबा ।.00 एकड़ में इन दोनो प्रकरणों में तहसीलदार के आदेश के पालन में खसरा सुधार के प्रकरणो में वाास्तविकता के अनुरूप एवं पूछताछ के आधार पर सही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन के संबंध में सही एवं गलत जानकारी प्रतिवेदित होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी तहसीलदार को ही कार्यवाही करना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा पूछताछ के आधार पर प्रतिवेदन देने तथा दिये गये प्रतिवेदन के संबंध में सहीं एवं गलत जानकारी प्रतिवेदित होने पर पीठासीन अधिकारी को ही कार्यवाही करनी चाहिए, का लेख गैरजिम्मेदाराना है। अपीलार्थी द्वारा ''पूछताछ'' के आधार पर प्रतिवेदन देना यह स्पष्ट करता है कि उसके द्वारा सही तथ्य छिपाया जाकर गलत प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी उत्तर में आगे अपीलार्थी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि सही एवं गलत जानकारी प्रतिवेदित होने पर तहसीलदार को ही कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनो प्रकरणों में गलत प्रतिवेदन देना अंशतः स्वीकार किया गया है। अतः कलेक्टर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित न होने से उसे स्थिर रखा जाता है तथा अपीलार्थी श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत अपील अमान्य करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता हैं। सर्वसंबंधित सूचित हो। प्रकरण दा. द.हों।

सही/–
कमिश्नर
(emphasis supplied)

11. The contention of Shri Shobhit Aditya, learned counsel appearing for the petitioner is that the petitioner was transferred from Patwari Hanumana Halka No. 36 to Parwari Halka No.76, Garh, Sirmore in January, 1999. Further, he was never posted in Sighati during entire service tenure. He was never asked nor submitted any enquiry report regarding the case Nos.29/A-6-A/96-97 and 30/A-6-A/96-97. It is contended that the aforesaid charge sheet was misconceived and he submitted his enquiry report on the basis of available record and possession of the parties and as per the direction of the Tehsildar, who after applying his mind has passed the direction for correction of the khasra entries, which was confirmed by

the Board of Revenue vide order dated 28.04.2003. It is urged that the respondents proceeded with the enquiry in a haste manner, denying him a reasonable and effective opportunity to defend his case and plead evidence. It is contended that out of four witnesses named in the list of witnesses, the then Tehsildar did not appear and his Reader Prem Shankar Mishra, though appeared but refused to give evidence. The other two witnesses did not state anything against him. It is alleged that despite repeated demands, the record/document of the departmental enquiry was not supplied to him, which has caused great prejudice to him. It is submitted that the finding of enquiry officer was based on surmises and conjectures and not supported by any document/record. It is pointed out that the enquiry officer found the charges to be partially proved, however, the disciplinary authority, (Collector, Rewa) found the charges to be fully proved, in disregard to the report of the enquiry officer. Under such circumstances, he ought to have recorded his tentative reasons for such disagreement and ought to have given the petitioner an opportunity to represent, instead without considering the reply/explanation and document submitted by the petitioner, he had passed the order of dismissal without application of mind. He further contended that the

appellate authority also dismissed the appeal in a mechanical manner without appreciating the grounds raised by the petitioner in the appeal. In the given circumstances, the order of Collector confirmed in appeal by Commissioner is unsustainable in law.

12. Per contra, learned counsel for the respondent/State, while supporting the impugned order, contended that the enquiry was conducted as per law. Reasonable opportunity of hearing was afforded to the petitioner/delinquent during the enquiry. It is submitted that petitioner's defence was recorded and closed on 22.08.2005 and the matter was closed for submitting the enquiry report. It is contended that prior to or during the enquiry, the petitioner never demanded any documents, it is only by way of after thought that an application, demanding documents/record was filed on 31.08.2005, after the enquiry proceedings were closed on 22.08.2005. It is further canvassed that disciplinary authority is not bound by the finding recorded by the enquiry officer and can take independent decision after going through the record. The disciplinary authority (Collector, Rewa) has rather agreed to the finding of guilt recorded against the petitioner as he has been found misusing his position as Patwari and settled the government land in favour of private persons and also

found guilty of forging the records. It is urged that it is not the case of petitioner that either the procedure prescribed under the disciplinary rules has not been followed or the enquiry was held by incompetent authority. In absence thereof, the order passed by the disciplinary authority as well as the appellate authority being well reasoned, needs no interference by this Court.

13. In have heard the learned counsel for the parties at length and perused the record.

14. Before considering the contentions of the learned counsel for the parties, it would be appropriate to consider the scope and extent of judicial review and interference in departmental enquiry proceedings permissible under Article 226 of the Constitution of India, as laid down by the Supreme Court in a series of decisions.

15. In the case of **Deputy General Manager (Appellate Authority) and others Vs. Ajay Kumar Shrivastava 2021 SCC Online SC 4**, the Supreme Court has said :-

> *"23. The power of judicial review in the matters of disciplinary inquiries, exercised by the departmental/ appellate authorities discharged by constitutional Courts*

under Article 226 or Article 32 or Article 136 of the Constitution of India is circumscribed by limits of correcting errors of law or procedural errors leading to manifest injustice or violation of principles of natural justice and it is not akin to adjudication of the case on merits as an appellate authority which has been earlier examined by this Court in ***State of Tamil Nadu Vs. T.V. Venugopalan 3*** *and later in* ***Government of T.N. and Another Vs. A. Rajapandian 4*** *and further examined by the three Judge Bench of this Court in* ***B.C. Chaturvedi Vs. Union of India and Others 5*** *wherein it has been held as under:*

> ***" 13.*** *The disciplinary authority is the sole judge of facts. Where appeal is presented, the appellate authority has coextensive power to reappreciate the evidence or the nature of punishment. In a disciplinary enquiry, the strict proof of legal evidence and findings on that evidence are not relevant. Adequacy of evidence or reliability of evidence cannot be permitted to be canvassed before the Court/Tribunal. In Union of India v. H.C. Goel [(1964) 4 SCR 718] this Court held at p. 728 that if the conclusion, upon consideration of the evidence reached by the disciplinary authority, is perverse or suffers from patent error on the face of the record or based on no evidence at all, a writ of certiorari could be issued."*

25. It is thus settled that the power of judicial review, of the Constitutional Courts, is an evaluation of the decision making process and not the merits of the decision itself. It is to ensure fairness in treatment and not to ensure fairness of conclusion. The Court/Tribunal may interfere in the proceedings held against the delinquent if it is, in any manner, inconsistent with the rules of natural justice or in violation of the statutory rules prescribing the mode of enquiry or where the conclusion or finding reached by the disciplinary authority if based on no evidence. If the conclusion or finding be such as no reasonable person would have ever reached or where the

conclusions upon consideration of the evidence reached by the disciplinary authority is perverse or suffers from patent error on the face of record or based on no evidence at all, a writ of certiorari could be issued. To sum up, the scope of judicial review cannot be extended to the examination of correctness or reasonableness of a decision of authority as a matter of fact."

16. In the case of **Moni Shankar Vs. Union of India and others (2008) 3 SCC 484,** the Supreme Court has held :-

"17. The departmental proceeding is a quasi judicial one. Although the provisions of the Evidence Act are not applicable in the said proceeding, principles of natural justice are required to be complied with. The Court exercising power of judicial review are entitled to consider as to whether while inferring commission of misconduct on the part of a delinquent officer relevant piece of evidence has been taken into consideration and irrelevant facts have been excluded therefrom. Inference on facts must be based on evidence which meet the requirements of legal principles. The Tribunal was, thus, entitled to arrive at its own conclusion on the premise that the evidence adduced by the department, even if it is taken on its face value to be correct in its entirety, meet the requirements of burden of proof, namely preponderance of probability. If on such evidences, the test of the doctrine of proportionality has not been satisfied, the Tribunal was within its domain to interfere. We must place on record that the doctrine of unreasonableness is giving way to the doctrine of proportionality. (See - State of U.P. v. Sheo Shanker Lal Srivastava : (2006)) 3 SCC 276 and Coimbatore District Central Cooperative Bank vs. Coimbatore Distarict Central

Cooperative Bank Employees Association and another : (2007) 4 SCC 669 2007."

17. In the case of **State of Rajasthan and others Vs. Heem Singh 2020 SCC Online SC 886**, the Supreme Court has held :-

*"39. In exercising judicial review in disciplinary matters, there are two ends of the spectrum. The first embodies a rule of restraint. The second defines when interference is permissible. The rule of restraint constricts the ambit of judicial review. This is for a valid reason. The determination of whether a misconduct has been committed lies primarily within the domain of the disciplinary authority. The judge does not assume the mantle of the disciplinary authority. Nor does the judge wear the hat of an employer. Deference to a finding of fact by the disciplinary authority is a recognition of the idea that it is the employer who is responsible for the efficient conduct of their service. Disciplinary enquiries have to abide by the rules of natural justice. But they are not governed by strict rules of evidence which apply to judicial proceedings. The standard of proof is hence not the strict standard which governs a criminal trial, of proof beyond reasonable doubt, but a civil standard governed by a preponderance of probabilities. Within the rule of preponderance, there are varying approaches based on context and subject. The first end of the spectrum is founded on deference and autonomy-deference to the position of the disciplinary authority as a fact finding authority and autonomy of the employer in maintaining discipline and efficiency of the service. At the other end of the spectrum is the principle that the **court** has the jurisdiction to interfere when the findings in the enquiry are based on no evidence or when they suffer from perversity. A failure to consider vital evidence is an incident of what the law regards*

> *as a perverse determination of fact. Proportionality is an entrenched feature of our jurisprudence. Service jurisprudence has recognized it for long years in allowing for the authority of the **court** to interfere when the finding or the penalty are disproportionate to the weight of the evidence or misconduct. Judicial craft lies in maintaining a steady sail between the banks of these two shores which have been termed as the two ends of the spectrum. Judges do not rest with a mere recitation of the hands-off mantra when they exercise judicial review. The determine whether the finding in a disciplinary enquiry is based on some evidence an initial or threshold level of scrutiny is undertaken. That is to satisfy the conscience of the **court** that there is some evidence to support the charge of misconduct and to guard against perversity."*

18. Thus, the law on this issue can be summed up to the effect that the Constitutional Court while exercising its jurisdiction of judicial review under Article 226 of the Constitution would not normally interfere where the enquiry was held by competent authority and where the rules of natural justice were followed or where the finding arrived at by the authority are based on evidence. The Court although cannot sit in appeal over the findings recorded by the Disciplinary Authority or the Enquiry Officer in a departmental enquiry, it does not mean that under no circumstances can the Court interfere. The power of judicial review available to a High Court takes into stride the domestic enquiry as well and the Court can interfere with the conclusions reached therein if there is no evidence

to support the findings or the finding recorded were perverse or malafide.

19. The contentions of the parties are required to be examined in the light of the law laid down by the Supreme Court.

20. At the outset, it is to be noted that the documents appended to the petition as Annexure P-1 to P-15 have not been denied or controverted by the respondents.

21. A perusal of disciplinary enquiry proceedings reveals that the petitioner closed his evidence on 22.08.2005. He filed an application demanding the documents on 31.08.2005. According to the petitioner these documents are basic material and important to establish the grounds raised by him. The stand of respondents that the application was only an after thought and dilly dally tactics on the part of petitioner to delay the enquiry, as filed after closing the enquiry proceedings is not correct.

22. When the enquiry is conducted by the enquiry officer, his report is not final or conclusive and the

disciplinary proceedings do not stand concluded. The disciplinary proceedings stand concluded with the decision of the disciplinary authority. It is the disciplinary authority which can impose the penalty and not the enquiry officer [**see AIR 1998 SC 2713**).

23. In **AIR 1999 SC 3734 Yoginath D. Bagde Vs. State of Maharasthra and another**, the Supreme Court has held :-

> *"33.....So long as a final decision is not taken in the matter, the enquiry shall be deemed to be pending. Mere submission of findings to the Disciplinary Authority does not bring about the closure of the enquiry proceedings. The enquiry proceedings would come to an end only when the findings have been considered by the Disciplinary Authority and the charges are either held to be not proved or found to be proved and in that event punishment is inflicted upon the delinquent. That being so, the "right to be heard" would be available to the delinquent up to the final stage. This right being a constitutional right of the employee cannot be taken away by any legislative enactment or Service Rule including Rules made under Article 309 of the Constitution."*

24. Applying the above principles to the facts of the case, the closing of enquiry without supplying the documents to the petitioner amounts to denial of fair opportunity to the delinquent.

25. In the instant case, the charge sheet was served upon the petitioner for submitting false/incorrect report in revenue case Nos. 27/A-6-A/96-97, 28/A-6-A/96-97, 29/A-6-A/96-97 and 30/A-6-A/96-97 with regard to lands of village Sagra Khurd and Sigati, mentioned therein the charge sheet, which led the Tehsildar to pass orders to settle the government land in favour of private persons.

26. The enquiry officer in his report (Ex. P-13) while dealing with the objections raised by the petitioner has observed that Presenting Officer has presented his brief on mere assumption. Despite repeated reminders, the Presenting Office neither inspected the record nor produced the same before him (Enquiry Officer). The report further reveals that the two witnesses examined have not stated anything against the petitioner.

27. One of these witnesses namely Shri O.P. Pandey (P.W.-1) has stated that he after countersigning the report of Naib Tehsildar, Tehsildar, simply forwarded it to District office. He has not filed any separate report regarding Patwari nor seen the record of the concerned report. Another witness Prem Shankar Mishra (P.W.-4) stated that he is not aware of the same as the revenue cases/orders mentioned in the charge sheet were passed after his

tenure, when he had given charge to Ram Shankar Mishra. The other two witnesses to be examined were the then Tehsildar, Hanumana, who failed to appear and his Reader, Ram Shankar Mishra, who refused to give evidence. For case Nos.29/A-6-A/96-97 and 30/A-6-A/96-97, the enquiry officer has accepted the explanation of petitioner and found the charge not proved. However, for the other two cases, i.e., Revenue case Nos. 27/A-6-A/96-97 and 28/A-6-A/96-97, even though record was not available with him, the petitioner was held guilty only for the reason that he admitted submitting the report in compliance of the order of Tehsildar. The Enquiry Officer found the charge to be partially proved and proposed that proceeding for cancellation of the aforesaid four cases be initiated.

28. Rule 14 of the M.P. Civil Services (CCA) Rules provides for the procedure for imposing penalties. Sub Rule (3)(b) provides that where it is proposed to hold an enquiry against a government servant under this rule, the disciplinary authority shall draw up a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained. Sub rule 11 provides that the enquiring authority shall require the Presiding Officer to produce the evidence by which he proposes to

prove the articles of charge. Sub rule 15 further provides that the enquiring authority in its discretion may allow the Presenting Officer to produce evidence, not included in the list given to the government servant or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness.

29. Thus, in my considered view, when the Presenting Officer has not produced the record, the Enquiring Authority itself ought to have called for the record, more particularly having regard to the reason assigned by the petitioner and the grave nature of charges levelled against the petitioner.

30. It is clear that the procedure as prescribed aforesaid was not followed and despite there being no evidence and unavailability of record, the charge was partially found proved, merely on suspicion. Thus, in my considered view, the enquiry officer has failed to observe principles of natural justice while conducting the departmental enquiry.

31. Further, perusal of the note sheet dated 16.09.2005, obtained under RTI by the petitioner reveals that Collector on perusal of enquiry report dated 15.09.2005, reached to a conclusion that petitioner's guilt

was fully established as he has recorded the government land in the name of private individuals, without there being any order of Tehsildar. He further dismissed the petitioner from service.

32. Rule 15 of the CCA Rules prescribes the procedure for action on the enquiry report. Sub rule (2) provides that if the disciplinary authority disagrees with the findings of the enquiring authority on any article of charge, he shall record its reasons for such disagreement and record its own finding on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose. Further, these tentative reasons for disagreeing with the finding of enquiring authority are required to be communicated to the delinquent officer, so that he may indicate the reasons on the basis of which the disciplinary authority proposes to disagree with the findings recorded by the Enquiring Authority are not germane and the finding of 'not guilty' even for a part of charge recorded by Enquiring Authority is not required/liable to the interfered with. Further, the show cause notice must indicate clearly the grounds on which the punishment specified therein is being proposed. But it should at the same time be also made clear to the Government servant concerned that the conclusion on the charges and the punishment proposed are provisional and

that the final decision would be taken after taking into consideration the representation that he may make.

33. It is noticed from a perusal of order dated 12.12.2005 (Annexure P-15) that alongwith the show cause notice dated 03.10.2005, the reason on the basis of which Disciplinary Authority has disagreed with the Enquiring Authority regarding revenue case Nos. 29/A-6-A/96-97 and 30/A-6-A/96-97 were not communicated to the petitioner, nor he was informed regarding the punishment proposed. It is well settled that the formation of the opinion at this stage should be tentative and not final. The final decision of imposing penalty should be taken only after petitioner is given an opportunity of being heard in respect of these charges. However, in the instant case, the Disciplinary Authority instead of forming a tentative opinion had come to a final conclusion that charge against the petitioner was fully established. Once final decision with regard to the charge levelled against the petitioner had already been taken by the Disciplinary Authority, without providing any opportunity of hearing to petitioner/delinquent, the subsequent notice dated 03.10.2005 to submit reply/comments on the enquiry report is only a mere formality and eye wash.

34. In the instant case, there is absolute non-consideration of explanation offered and documents produced by the petitioner in his defence. The document (Annexure P-3), i.e., the order dated 02.08.1997 passed by the then Tehsildar, Hanumana, had a direct bearing on the charge levelled against the petitioner, however, it was deliberately overlooked and not considered by the Disciplinary Authority, who had already made up his mind to dismiss the petitioner from service.

35. The Appellate Authority, too, without adverting to the various grounds raised and documents filed by the petitioner to challenge the enquiry proceedings, the enquiry report and the order of Disciplinary Authority, has dismissed the petitioner's appeal merely by observing that petitioner's statement is 'irresponsible'.

36. In the case of **Chairman, Life Insurance Corporation of India and others Vs. A. Masilamani (2013) 6 SCC 530**, the Supreme Court has held:-

> *"19. The word "consider", is of great significance. Its dictionary meaning of the same is, "to think over", "to regard as", or "deem to be". Hence, there is a clear connotation to the effect that, there must be active application of mind. In other words, the term "consider" postulates consideration of all relevant aspects of a matter. Thus, formation of opinion by*

> *the statutory authority, should reflect intense application of mind with reference to the material available on record. The order of the authority itself, should reveal such application of mind. The appellate authority cannot simply adopt the language employed by the disciplinary authority, and proceed to affirm its order. (Vide: Director, Marketing, Indian Oil Corpn. Ltd. & Anr. v. Santosh Kumar, (2006) 11 SCC 147; and Bhikhubhai Vithlabhai Patel & Ors. v. State of Gujarat & Anr., AIR 2008 SC 1771).”*

37. The order of Disciplinary Authority as well as of Appellate Authority are based on surmises and conjectures and do not satisfy the test of reasonableness. The orders impugned have been passed without application of mind, in a mechanical manner and are based on no evidence and perverse, hence cannot be sustained.

38. The Supreme Court has further held in **Chairman** (supra) that :-

> *“16. It is a settled legal proposition, that once the Court sets aside an order of punishment, on the ground that the enquiry was not properly conducted, the Court cannot reinstate the employee. It must remit the concerned case to the disciplinary authority, for it to conduct the enquiry from the point that it stood vitiated, and conclude the same. (Vide: Managing Director, ECIL, Hyderabad etc.etc. v. B. Karunakar etc.etc. AIR 1994 SC 1074; Hiran Mayee Bhattacharyya v. Secretary, S.M. School for Girls & Ors., (2002) 10 SCC 293; U.P. State Spinning C. Ltd. v. R.S. Pandey & Anr., (2005) 8 SCC 264; and Union of India v. Y.S. Sandhu, Ex-Inspector AIR 2009 SC 161).”*

39. In the light of aforesaid settled legal proposition, the impugned order of dismissal cannot be sustained and hereby quashed. The matter is remitted to the disciplinary authority to enable it to take fresh decision taking into consideration as to whether a fresh enquiry is still required in the facts and circumstances of the case and the documents brought on record. In the event, the authority takes a view that the case requires a fresh enquiry, it may proceed accordingly and conclude the same most expeditiously.

40. With the aforesaid direction, this petition stands allowed.

(Nandita Dubey)
Judge
11/02/2021

Digitally signed by GEETHA NAIR
Date: 2021.02.12 10:28:30 +05'30'